

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार  
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, दिल्ली सरकार  
9वां तल-ए विंग, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली

तारांकित/अतारांकित : अतारांकित

प्रश्न संख्या- :154

दिनांक- : 28.02.2019

प्रश्नकर्ता का नाम-: श्री ओम प्रकाश शर्मा

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

प्रश्न	उत्तर
क) दिल्ली सरकार प्राइवेट अस्पतालों के मोटे बिलों पर लगाम लगाने के लिये क्या उपाय कर रही है;	
ख) प्राफिट कैपिंग (Profit capping) पॉलिसी कब तक लागू हो जाने की आशा है;	प्राइवेट अस्पतालों के मोटे बिलों पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने 9 सदस्यों की उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है समिति की अनुशंसा के आधार पर एक ड्राफ्ट एडवाइजरी जारी किया गया ताकि विभिन्न स्टेकहोल्डर अपनी राय दें पाएं। विभिन्न स्टेकहोल्डर की राय प्राप्त होने के पश्चात एडवाइजरी का अन्तिम प्रारूप तैयार किया जाएगा ।
ग) क्या यह सत्य है कि सरकार प्राइवेट अस्पतालों में चिकित्सा प्रणाली में सुधार करके सभी अस्पतालों में मरीजों और उनके परिजनों को शोषण, ओवर चार्जिंग तथा मनमर्जी से मुक्त करवाने के लिए कोई पॉलिसी बना रही है;	
घ) यदि हाँ, तो इसकी विस्तृत जानकारी क्या है; और	
ड) यह कब तक लागू हो जायेगी?	

(संजीव खिरवार)

प्रधान सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग  
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

**SANJEEV KHIRWAR, IAS**  
**SECRETARY**  
Health & Family Welfare Deptt.  
Govt. of NCT of Delhi  
9th Level, Delhi Sectt., New Delhi